

राजस्थान सरकार  
खान (गुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(15)खान/गुप-1/2000

जयपुर, दिनांक 11 1 APR 2019


—: आदेश :-

खान एवं भूविज्ञान विभाग के अधीक्षण खनि अभियन्ता पद की दिनांक 01.04.2019 की स्थिति दर्शाते हुए अस्थाई वरिष्ठता सूची निम्न प्रकार से निर्धारित कर जारी की जाती है। इस वरिष्ठता सूची में यदि किसी अधिकारी को आपत्ती आदि हो तो सूची जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में अपना अभ्यावेदन अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर को एवं इस विभाग को प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और स्थाई वरिष्ठता सूची जारी कर दी जायेगी :-

क्र.सं.	नाम अधिकारी	श्रेणी	जन्म दिनांक	चयन वर्ष
1.	श्री एम.एल.मरमट	अ.जा.	27.06.1961	2002-2003
2.	श्री बी.एस.सोढा	सामान्य	08.08.1968	2009-2010
3.	श्री पी.आर.आमेटा	सामान्य	19.07.1965	2009-2010
4.	श्री महेश माथुर	सामान्य	22.01.1970	2011-2012
5.	श्री पी.एल.मीणा	अ.ज.जा.	20.05.1965	2013-2014
6.	श्री वाई.एस.सहवाल	अ.जा.	23.02.1968	2013-2014
7.	श्री राजीव चौधरी	सामान्य	08.01.1965	2013-2014
8.	श्री एम.एस.पालीवाल	सामान्य	11.11.1960	2013-2014
9.	श्री जे.के.गुरुबक्षानी	सांमान्य	19.01.1969	2013-2014
10.	श्री जी.एस.इन्दा	सामान्य	07.02.1960	2013-2014
11.	श्री एन.एस.शक्तावत	सामान्य	07.08.1969	2013-2014
12.	श्री अनिल खिमेसरा	सामान्य	04.06.1967	2013-2014
13.	श्री डी.एस.देवड़ा	सामान्य	25.06.1968	2013-2014
14.	श्री धर्मेन्द्र लौहार	सामान्य	27.10.1968	2013-2014
15.	श्री डी.पी.गौड़	सामान्य	03.08.1969	2013-2014
16.	श्री एन.के.बैरवा	अ.जा.	14.09.1972	2014-2015
17.	श्री अविनाश कुलदीप	अ.जा.	03.09.1973	2015-2016
18.	श्री ओ.पी.काबरा	सामान्य	18.02.1971	2016-2017
19.	श्री अरविन्द कुमार नन्दवाना	सामान्य	28.06.1965	2017-2018
20.	श्री प्रतापसिंह मीणा	अ.ज.जा.	05.04.1974	2017-2018

नोट:- उक्त वरिष्ठता सूची लम्बित न्यायिक वाद यदि कोई है, के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन परिवर्तनशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(कमलेश सिंह चौहान)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर - कृपया उक्त अस्थाई वरिष्ठता सूची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें/सम्बन्धित अधिकारियों को वितरित करावें।
2. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



सहायक शासन सचिव